

141

00


✓

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय रायपुर

:अधिसूचना:


रायपुर, दिनांक 11 मई, 2004

क्र. 432/आर- 352/03 : इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 3190 एरा.ई. 2002 दिनांक 23.8.2002, द्वारा गठित, 3.10.01 से प्रभावी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 82 के अधीन गठित किया गया गण्य किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अतुल कुमार शुक्ला)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग

रायपुर, दिनांक 11 मई, 2004

क्र. 433/आर- 352/03: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. 432 /आर- 352/03 दिनांक 11 मई, 2004 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अतुल कुमार शुक्ला)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
.....2.....

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
DEPARTMENT OF ENERGY
MANTRALAYA
DAU KALYAN SINGH BHAVAN
RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 11 May, 2004

No. 432/R-352/03: The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission "established" vide this department's Notification No: 3190-S.T.-2002 dated 23-08-2002 with effect from 03-10-2001, shall be deemed to have been established under Section 82 of the Electricity Act, 2003 (No: 36 of 2003).

By Order and in the Name
Of the Governor of Chhattisgarh,



(ATUL KUMAR SHUKLA)
Special Secretary to Government of Chhattisgarh
Department of Energy